इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल 2019—चैत्र 29, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2019

क्र. एफ 3-03-2019-एक-4.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत 126-छिन्दवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव तथा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 के सिलसिले में निर्वाचन चार चरणों में होना है. निर्वाचन कार्यक्रम की प्रति संलग्न है. मध्यप्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत मतदान प्रथम चरण में दिनांक 29 अप्रैल 2019 (सोमवार), द्वितीय चरण में दिनांक 6 मई 2019 (सोमवार), तृतीय चरण में दिनांक 12 मई 2019 (रविवार), एवं चतुर्थ चरण में दिनांक 19 मई 2019 (रविवार) को संबंधित क्षेत्रों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश का दिन होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

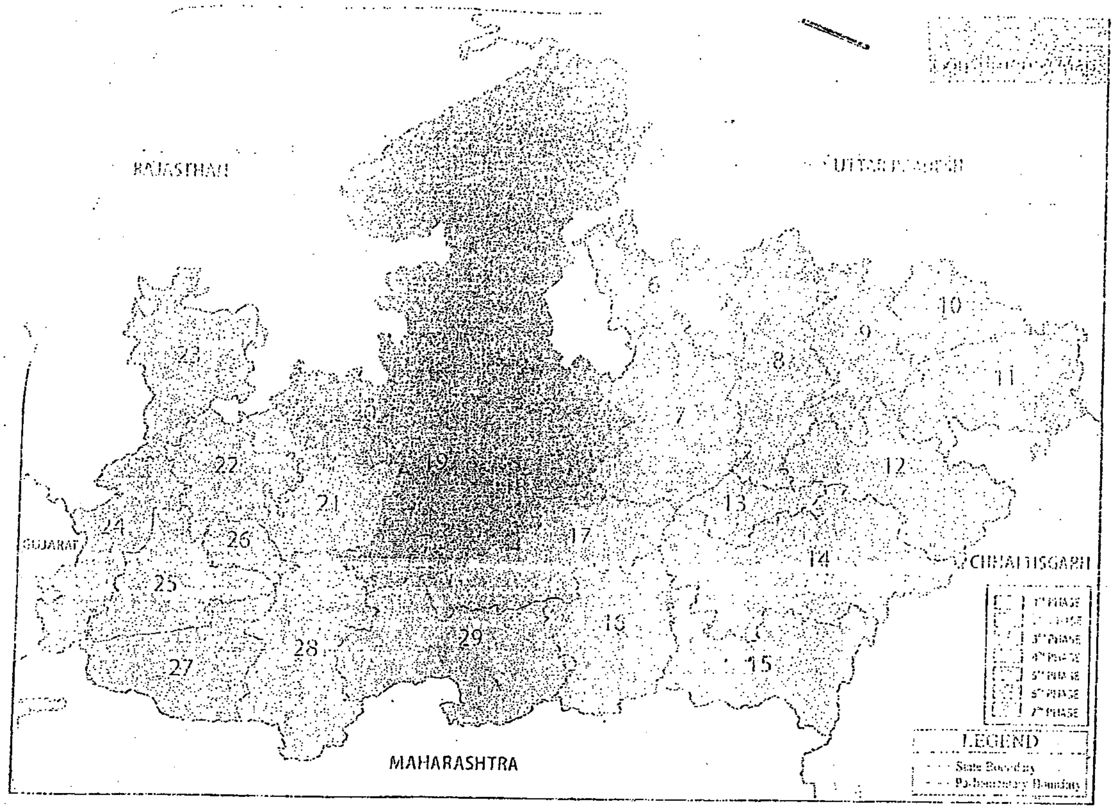

Schedule Reference | **Parliamentary Constituencies**

Schedule Reference		Sl.	PC No.	PC Name	Type
Schedule no :	4				
No of PCs going to poll	6	1	11	Sidhi	GEN
issue of Notification :	02-04-2019	2	12	Shahdol	ST
Last Date for filing Nominations :	09-04-2019	3	13	Jabalpur	GEN
Scrutiny of Nominations :	10-04-2019	4	14	Mandla	ST
Laste date for withdrawal of Candidature :	12-04-2019	5	15	Balaghat	GEN
Date of Poll	29-04-2019	6	16	Chhindwara	GEN
Counting of Votes :	23-05-2019				
Date before which the election shall be Completed	27-05-2019				
Schedule no :	5	7	6	Tikamgarh	SC
No of PCs going to poll	7	8	7	Damoh	GEN
issue of Notification :	10-04-2019	9	8	Khajuraho	GEN
Last Date for filing Nominations :	18-04-2019	10	9	Satna	GEN
Scrutiny of Nominations :	20-04-2019	11	10	Rewa	GEN
Laste date for withdrawal of Candidature :	22-04-2019	12	17	Hoshangabad	GEN
Date of Poll	06-05-2019	13	29	Betul	ST
Counting of Votes :	23-05-2019				
Date before which the election shall be Completed	27-05-2019				

Schedule no :	6	14	1	Morena	GEN
No of PCs going to poll	8	15	2	Bhind	SC
issue of Notification :	16-04-2019	16	3	Gwalior	GEN
Last Date for filing Nominations :	23-04-2019	17	4	Guna	GEN
Scrutiny of Nominations : .	24-04-2019	18	5	Sagar	GEN
Laste date for withdrawal of Candidature :	26-04-2019	19	18	Vidisha	GEN
Date of Poll	12-05-2019	20	19	Bhopal	GEN
Counting of Votes :	23-05-2019	21	20	Rajgarh	GEN
Date before which the election shall be Completed	27-05-2019				

Schedule no :	7	22	21	Dewas	SC
No of PCs going to poll	8	23	22	Ujjain	SC
issue of Notification :	22-04-2019	24	23	Mandsour	GEN
Last Date for filing Nominations :	29-04-2019	25	24	Ratlam	ST
Scrutiny of Nominations :	30-04-2019	26	25	Dhar	ST
Laste date for withdrawal of Candidature :	2-05-2019	27	26	Indore	GEN
Date of Poll	19-05-2019	28	27	Khargone	ST
Counting of Votes :	23-05-2019	29	28	Khandwa	GEN
Date before which the election shall be Completed	27-05-2019				

ECI PRESS NOTE 10 MARCH 2019
General Election-2019

ELECTION COMMISSION OF INDIA
GENERAL ELECTION-2019
BYE ELECTIONS TO LEGISLATIVE ASSEMBLIES

Sl. (1)	State (2)	AC No. (3)	Name of AC (4)	Phase (5)	Date of Poll (6)
1	Bihar	212	Dehri	7	19 May 2019
2	Bihar	237	Nawada	1	11 Apr. 2019
3	Goa	1	Mandrem	3	23 Apr. 2019
4	Goa	5	Mapusa	3	23 Apr. 2019
5	Goa	22	Siroda	3	23 Apr. 2019
6	Gujrat	21	Unjha	3	23 Apr. 2019
7	Gujaat	91	Talala	3	23 Apr. 2019
8	Madhya Pradesh	126	Chhindwara	4	29 Apr. 2019
9	Maharashtra	48	Katol	1	11 Apr. 2019
10	Meghalaya	48	Selsella (ST)	1	11 Apr. 2019
11	Mizoram	15	Aizawl West-I (ST)	1	11 Apr. 2019
12	Nagaland	26	Aonglenden (ST)	1	11 Apr. 2019
13	Pudducherry	9	Thattanchavady	2	18 Apr. 2019
14	Tamil Nadu	5	Poonamallee (SC)	2	23 Apr. 2019
15	Tamil Nadu	12	Perambur	2	23 Apr. 2019
16	Tamil Nadu	33	Thiruporur	2	23 Apr. 2019
17	Tamil Nadu	39	Sholingur	2	23 Apr 2019
18	Tamil Nadu	46	Gudiyattham (SC)	2	23 Apr. 2019
19	Tamil Nadu	48	Ambur	2	23 Apr. 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Tamil Nadu	55	Hosur	2	23 Apr. 2019
21	Tamil Nadu	60	Pappireddippatti	2	23 Apr. 2019
22	Tamil Nadu	61	Harur (SC)	2	23 Apr. 2019
23	Tamil Nadu	130	Nilakkottai (SC)	2	23 Apr. 2019
24	Tamil Nadu	168	Thiruvarur	2	23 Apr. 2019
25	Tamil Nadu	174	Thanjavur	2	23 Apr. 2019
26	Tamil Nadu	187	Manamadurai (SC)	2	23 Apr. 2019
27	Tamil Nadu	198	Andipatti	2	23 Apr. 2019
28	Tamil Nadu	199	Periyakulam (SC)	2	23 Apr. 2019
29	Tamil Nadu	204	Sattur	2	23 Apr. 2019
30	Tamil Nadu	209	Paramakudi (SC)	2	23 Apr. 2019
31	Tamil Nadu	213	Vilathikulam	2	23 Apr. 2019
32	Uttar Pradesh	138	Nighasan	4	29 Apr. 2019
33	West Bengal	88	Krishnaganj (SC)	4	29 Apr. 2019
34	West Bengal	176	Uluberia Purba	5	06 May 2019

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2019

क्र. एफ 5-20-2018-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री बी. के. श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
दिनांक 18 से 22 फरवरी 2019	05	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 फरवरी 2019 एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 तथा 24 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने के अनुमति सहित.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2019

क्र. एफ 5-4-2019-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री शैलेन्द्र शुक्ला, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
दिनांक 14 से 22 फरवरी 2019	09	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 एवं 24 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने के अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीषा सेतिया, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2019

क्र. एफ 1(ए)151-1995-ब-2-दो-**संशोधित.**—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 फरवरी 2019 को निरस्त करते हुए श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 जनवरी से 12 फरवरी 2019 तक, बाईस दिवस का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2019

क्र. एफ 1(ए) 256-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री अनिल कुमार भापुसे, महानिदेशक (वि.पु.स्था.), लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 14 जून से 19 जून 2019 तक, कुल छ: दिवस अर्जित अवकाश खण्ड वर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में इन्दौर, पटना, इलाहाबाद भ्रमण हेतु अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

1.	श्री अनिल कुमार	—	स्वयं
2.	श्रीमती सुनीता कुमार	—	पत्नी
3.	श्री अक्षत सिद्धांत	—	पुत्र

(2) श्री अनिल कुमार, भापुसे, महानिदेशक (वि.पु.स्था.) लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्य श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, वि.पु.स्था. लोकायुक्त, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, महानिदेशक (वि.पु.स्था.), लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनिल कुमार, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)90-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, उज्जैन जोन, उज्जैन को दिनांक 6 से 11 मार्च 2019 तक, छ: दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, उज्जैन जोन, उज्जैन के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2019

क्र. एफ 1(ए) 03-2012-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2018 को संशोधित करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री गौरव तिवारी, भापुसे 2010 पुलिस अधीक्षक, रतलाम को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2018 तक, कुल छ: दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 व 23 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) गृह नगर वाराणसी (उत्तर प्रदेश) की अनुमति अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) आदेश की शेष कंडिकायें यथावत् रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2019

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2097.—(मेरिट क्र. 81), राज्य शासन, श्री महेन्द्र मेहसन पुत्र श्री नेमालाल मेहसन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 31 जुलाई 1992 है.

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2019

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2136.—(मेरिट क्र. 99), राज्य शासन, सुश्री चेतना झारिया पुत्री श्री शिव दास झारिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 19 जून 1990 है.

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2142.—(मेरिट क्र. 108), राज्य शासन, सुश्री प्रीति ठाकुर पुत्री स्व. श्री कमल सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 8 अक्टूबर 1992 है.

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2234.—(मेरिट क्र. 29), राज्य शासन, श्री उमंग जोशी पुत्र श्री सुनील कुमार जोशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दिल्ली है. उसकी जन्मतिथि 20 नवम्बर 1990 है.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2019

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2228.—(मेरिट क्र. 14), राज्य शासन, सुश्री रूचि पटैरिया पुत्री श्री अखिलेश कुमार पटैरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला निवाड़ी (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 19 नवम्बर 1989 है.

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2233.—(मेरिट क्र. 70), राज्य शासन, श्री अभिषेक सोनी पुत्र श्री कमलकिशोर सोनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला देवास (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 27 जून 1995 है.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2019

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2166.—(मेरिट क्र. 109), राज्य शासन, सुश्री रिषु भगत पुत्री श्री भैया राम भगत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला अशोकनगर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 18 नवम्बर 1990 है.

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2232.—(मेरिट क्र. 39), राज्य शासन, श्री शिरीष शुक्ला पुत्र श्री अखिलेश शुक्ला को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 2 जुलाई 1987 है.

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2019

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)2275.—(मेरिट क्र. 88), राज्य शासन, श्री विनय सोनी पुत्र श्री पुरषोत्तम सोनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 02 अगस्त 1996 है.

फा. क्र. 17-(ई)-44-2013-इक्कीस-ब-(एक)-1972-19.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 5, 7, 17, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 37, 38, 44, 45, 46 तथा 47 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाए, अर्थात् :—

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
"5.	भोपाल	श्री राजेन्द्र चौरसिया, सोलहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल
7.	छिन्दवाड़ा	श्री अरविंद कुमार गोयल, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा
17.	इन्दौर	श्री राकेश बंसल, अठारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर
18.	जबलपुर	श्री अनिल कुमार पाठक, सातवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर
21.	मंडला	श्री राम प्रताप सिंह विशेष न्यायाधीश, मंडला
22.	मंदसौर	श्री जयंत शर्मा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर
24.	नरसिंहपुर	श्री संजय कुमार गुप्ता (जूनि.) द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर
29.	रतलाम	श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम
30.	रीवा	श्री तेजेन्दर सिंह अजमानी, पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा
31.	सागर	श्रीमती दीपाली शर्मा, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सागर
37.	श्योपुर	श्री रविन्द्र सिंह, विशेष न्यायाधीश, श्योपुर
38.	शिवपुरी	श्री राम प्रताप मिश्रा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी
44.	मंडलेश्वर (पश्चिमी निमाड़).	श्री अरूण कुमार खराड़ी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंडलेश्वर (पश्चिमी निमाड़).
45.	अलीराजपुर	श्री रवि झारोला, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर
46.	अनूपपुर	श्री राजेश कुमार अग्रवाल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर
47.	अशोकनगर	श्री अखिलेश जोशी, सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर

(2) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17(E)-44-2013-XXI-B (One) 1972-2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this department's Notification F-No. B(1) 3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 5, 7, 17, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 37, 38, 44, 45, 46 and 47 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name of the District (2)	Name and Designation of the Judge (3)
"5.	Bhopal	Shri Rajendra Chourasia, XVIth Additional Sessions Judge, Bhopal.
7.	Chhindwara	Shri Arvind Kumar Goyal, IIIrd Additional Sessions Judge, Chhindwara.
17.	Indore	Shri Rakesh Bansal, XVIIIth Additional Sessions Judge, Indore.
18.	Jabalpur	Shri Anil Kumar Pathak VIIth Additional Sessions Judge, Jabalpur.
21.	Mandla	Shri Ram Pratap Singh, Special Judge, Mandla
22.	Mandsaur	Shri Jayant Sharma, IVth, Additional Sessions Judge, Mandsaur
24.	Narsinghpur	Shri Sanjay Kumar Gupta, (Jr.) IInd Additional Sessions Judge, Narsinghpur.
29.	Ratlam	Shri Vivek Kumar Shrivastava, IIIrd Additional Sessions Judge, Ratlam.
30.	Rewa	Shri Tejinder Singh Azmani, Vth Additional Sessions Judge, Rewa.
31.	Sagar	Smt. Deepali Sharma, IIIrd Additional Sessions Judge, Sagar
37.	Sheopuri	Shri Raviander Singh, Special Judge, Sheopur
38.	Shivpuri	Shri Ram Pratap Mishra, IVth Additional Sessions Judge, Shivpuri.
44.	Mandleshwar (West Nimar)	Shri Arun Kumar Kharadi, IInd Additional Sessions Judge, Mandleshwar (West Nimar).
45.	Alirazpur	Shri Ravi Jharola, 1st Additional Sessions Judge, Alirazpur
46.	Anoppur	Shri Rajesh Kumar Agarawal, 1st Additional Sessions Judge, Anoppur.
47.	Ashoknagar	Shri Akhilesh Joshi, Specail Judge, Ashoknagar."

(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब (एक)-1971-2019.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में जो मध्यप्रदेश राज्यपत्र भाग-एक में, दिनांक 6 नवम्बर 2009 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 25 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"25.	सेशन न्यायाधीश, कटनी	कटनी"

F-No.1-1-88-XXI-B(One)-1971-2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B(One), dated 24th October, 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 6th November, 2009, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial number 25 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"25.	Sessions Judge, Katni	Katni".

फा. क्र.1-2-90-इक्कीस-ब(एक)-1893-2019.—अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, कॉलम (3) में उल्लिखित अपर सेशन न्यायाधीशों को नीचे सारणी दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित जिलों के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक	जिला	सेशन न्यायालय
(1)	(2)	(3)
"1.	अलीराजपुर	श्री लखनलाल गोस्वामी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर
2.	अनूपपुर	श्री भू भास्कर यादव, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर
3.	अशोकनगर	श्रीमती प्रिया शर्मा, अपर सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर"

F. No. 1-2-90-XXI-B-(One)-1893-2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints the Additional Sessions Judges mentioned in column (3), as Special Judges for districts mentioned in column (2), of the table given below, to try the offences under the said Act, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Districts (2)	Sessions Court (3)
"1.	Alirazpur	Shri Lakhan lal Goswami, IInd Additional Sessions Judge, Alirazpur
2.	Anuppur	Shri Bhoo Bhaskar Yadav, IInd Additional Sessions Judge, Anuppur
3.	Ashoknagar	Smt. Priya Sharma, Additional Sessions Judge, Ashoknagar"

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-1968-2019.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, 1-5-96-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 5 जून 2017 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 9 जून 2017 में प्रकाशित हुई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम (2)	मुख्यालय (3)	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार (4)
1	श्री सुरेश कुमार चौबे, पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, सागर, दमोह, सिवनी, छिन्दवाड़ा, रीवा, सतना, पन्ना, सीधी, बालाघाट, शहडोल, कटनी, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर एवं सिंगरौली.
2	श्री कृष्ण मूर्ति मिश्रा, सोलहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.	इन्दौर	इन्दौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, मण्डलेश्वर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, खण्डवा, नीमच, बड़वानी, अलीराजपुर एवं बुरहानपुर.

F. No. 1-5-96-XXI-B(One)-1968-2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendment in this department's notification F. No. 1-5-96-XXI-B(One), dated 5th June, 2017 which was publised in Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 9th June, 2017, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judge (2)	Headquarter (3)	Jurisdiction of Special Court (4)
1	Shri Suresh Kumar Choubey (Sr.) Vth Additional Sessions Judge, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur, Narsinghpur, Mandla, Sagar, Domoh, Seoni, Chhindwara, Rewa, Satna, Panna, Sidhi, Balaghat, Shahdol, Katni, Dindori, Umaria, Anuppur and Singrauli.
2	Shri Krishna Murty Mishra, XVIth Additional Sessions Judge, Indore.	Indore	Indore, Dhar, Ratlam, Jhabua, Madsaur, Mandleshwar, Ujjain, Dewas, Shajapur, Khandwa, Neemuch, Badwani, Alirajpur and Burhanpur.

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2019

फा. क्र. 2356-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भोपाल का त्याग-पत्र दिनांक 5 अप्रैल 2019 अपरान्ह (दोपहर पश्चात्) से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2019

क्र. एफ-11-07-2017-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-07-17-तीस, दिनांक 30 मई 2017 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	बालाघाट	बालाघाट	ग्राम धनसुआ	प्राचीन गोसाई मंदिर (शिव मंदिर)	142/1/ज 142/2ड़	0.024 हे.	अशासकीय	हां

क्र. एफ-11-08-2018-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-08-18-तीस, दिनांक 21 जून 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जो संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
म. प्र.	रायसेन	औबेदुल्लागंज (गौहरगंज)	ढावला (हरई)	प्रचीन शिव मंदिर	RF. 306	तीन एकड़	म. प्र. शासन वन विभाग	हां.	वनमंडल अधिकारी वन मंडल औबेदुल्लागंज के पत्र क्र. 1360, दिनांक 14-9-2017 के अनुसार.

क्र. एफ-11-10-2018-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-10-18-तीस, दिनांक 2 जुलाई 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	सागर	खुरई	शिवाजी वार्ड	खुरई किला	नजूल सरकार	18395 वर्ग मीटर	म. प्र. शासन	किला प्रांगण में शहर की कुल देवी बीजासेन का मंदिर है.

क्र. एफ-11-12-2018-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-12-18-तीस, दिनांक 31 अगस्त 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का स्थल/ अवशेष का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित होना है प्रवर्तित होना है	क्षेत्रफल सीमांक	स्वामित्व	विशेष विवरण धार्मिक पूजा आदि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	नीमच	सिंगोली	रतनगढ़	किला जंगलात	233	5.264 हे.	म. प्र. शासन	-

क्र. एफ-11-21-2017-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-21-2017-तीस, दिनांक 22 जनवरी 2018 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	छतरपुर	नौगांव	मउसहानिया	सूर्य मंदिर	1262, 1263	0.045 हे. 0.040 हे.	शासकीय मध्यप्रदेश शासन	हां.

1. **उत्तर**—भूपेन्द्र पिता श्री जगदीश ब्रम्हण.
2. **पूर्व**—श्री श्री 108 लक्ष्मण जी देवालय.
3. **दक्षिण**—श्रीश्री 108 लक्ष्मण जी देवालय.
4. **पश्चिम**—आम रास्ता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2019

क्र. एफ-1(ए)06-2016-ए-सोलह.—राज्य शासन एतद्द्वारा मान. उच्च न्यायालय के प्रपत्र क्र. 370/Confd./2019, दिनांक 18 मार्च 2019 के अनुक्रम में निम्नलिखित अधिकारी की सेवाएं श्रमायुक्त संगठन के अन्तर्गत श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपी है, की पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख अंकित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश तक की जाती है.

क्र.	नाम तथा पद	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री रमाकांत भारक, चतुर्थ विभाग न्यायाधीश वर्ग-1	श्रम न्यायालय, इन्दौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना मेहरा अटूट, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश

सिंगरौली, दिनांक 30 मार्च 2019

क्र. 348-आर.डी.एम.-2019.—पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पत्र क्रमांक/पु.अ./सिंगरौली/एसी/एम-15562-ए/2019, दिनांक 3 मार्च 2019 एवं जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा दिनांक 27 मार्च 2019 के अनुक्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1972 का सं. 02) की धारा 02 के खण्ड (एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली एतद्द्वारा वर्तमान में सिंगरौली जिले के पुलिस थाना वैढ़न में सम्मिलित, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्रामों को नवीन पुलिस चौकी खुटार, थाना वैढ़न, जिला सिंगरौली की अधिकारिता में सम्मिलित किये जाने हेतु अधिसूचित करता हूं:—

अनुसूची

वर्तमान पुलिस थाना (1)		ग्राम का नाम (2)	प्रस्तावित पुलिस थाना/पुलिस चौकी (3)
थाना वैढ़न, जिला सिंगरौली	1.	खुटार	पुलिस चौकी खुटार, थाना वैढ़न जिला सिंगरौली.
	2.	गड़हरा	
	3.	नौगई	
	4.	खटखरी	
	5.	परसौना	
	6.	सहोखर	
	7.	हर्दी	
	8.	गहिलरा	
	9.	मानिक चौरा	
	10.	बुधेला	
	11.	खजुरी	
	12.	जरौधा	
	13.	करहिया	
	14.	रजबांध	
	15.	जिनहर	
	16.	भांड़ी	
	17.	काजन	
	18.	डिग्घी	
	19.	धतुरा	
	20.	देवरी	
	21.	करकोसा	
	22.	कटौली	
	23.	चितरबईकला	
	24.	पिपराझांपी	
	25.	जरौंधा	
	26.	बिहरा	
	27.	बड़माटोला	
	28.	ढेंकी	

No. 349-RDM-2019.—In exercise of the powers conferred by Madhya Pradesh Government *vide* order No. F-2 (ka)-9-08-B-3-2, Bhopal, Dated 30th July, 2010 & clause (S) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and under the approval of district level Committee Dated 27th March 2019, I, Collector & District Magistrate Singrauli hereby, declare the villages specified in column (2) of the Schedule below having Present jurisdiction Police Station Waidhan, District Singrauli to proposed police Outpost Khutar, police station Waidhan, District Singrauli (M.P.):—

SCHEDULE

Present Police Station (1)	Name of Villages (2)		Proposed Police Station/Police Out Post (3)
Police Station Waidhan, District Singrauli (M.P.)	1.	Khutar	Police Out Post Khutar, Police Station Waidhan, District Singrauli (M.P.).
	2.	Gadahara	
	3.	Podi Naugai	
	4.	Khatkhari	
	5.	Parsauna	
	6.	Sahokhar	
	7.	Hardi	
	8.	Gahilara	
	9.	Manik Chaura	
	10.	Budhela	
	11.	Khajuri	
	12.	Jaraundha	
	13.	Karhiya	
	14.	Rajbandh	
	15.	Jinahar	
	16.	Bhandi	
	17.	Kajan	
	18.	Digghi	
	19.	Dhatura	
	20.	Devari	
	21.	Karkosa	
	22.	Katauli	
	23.	Chitarbaikala	
	24.	Piprajhanpi	
	25.	Jaraundha	
	26.	Bihara	
	27.	Badamatola	
	28.	Dheky	

क्र. 350-आर.डी.एम.-2019.—पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पत्र क्रमांक/पु.अ./सिंगरौली/एसी/एम-15561-ए/2018, दिनांक 3 मार्च 2019 एवं जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा दिनांक 27 मार्च 2019 के अनुक्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1972 का सं. 02) की धारा 02 के खण्ड (एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली एतद्द्वारा वर्तमान में सिंगरौली जिले के पुलिस थाना वैढ़न में सम्मिलित, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्रामों को नवीन पुलिस चौकी गोभा, थाना बैढ़न, जिला सिंगरौली की अधिकारिता में सम्मिलित किये जाने हेतु अधिसूचित करता हूं:—

अनुसूची

वर्तमान पुलिस थाना (1)	ग्राम का नाम (2)		प्रस्तावित पुलिस थाना/पुलिस चौकी (3)
थाना वैढ़न, जिला सिंगरौली	1.	ओरगाई	पुलिस चौकी गोभा, थाना वैढ़न, जिला सिंगरौली.
	2.	करौटी	

(1)	(2)		(3)
	3.	बरदघटा	
	4.	उर्ती	
	5.	चरगोड़ा	
	6.	गोभा	
	7.	बरहपान	
	8.	बलसोता टोला	
	9.	धुम्माडांड	
	10.	पिपराकुरंद	
	11.	एकपई	
	12.	सुईडीड़	
	13.	जलहथनी	
	14.	धोधा	
	15.	मुड़वनियां	
	16.	बरंगटोला	
	17.	खटखरिया	
	18.	कांदोपानी	

No. 351-RDM-2019.—In exercise of the powers conferred by Madhya Pradesh Government *vide* order No. F-2 (ka)-9-08-B-3-2, Bhopal, Dated 30th July, 2010 & clause (S) of Section 2 of the Code of Criminal procedure, 1973 (2 of 1974) and under the approval of district level Committee Dated 27th March 2019, I, Collector & District Magistrate Singrauli hereby, declare the villages specified in column (2) of the Schedule below having Present jurisdiction Police Station Waidhan, District Singrauli to proposed police Outpost Gobha, police station Waidhan, District Singrauli (M.P.):—

SCHEDULE

Present Police Station (1)	Name of Village (2)		Proposed Police Station/police Out Post (3)
Police Station Waidhan, District Singrauli (M.P.)	1.	Orgaee	Police Out Post Gobha, Police Station Waidhan, District Singrauli (M.P.)
	2.	Karauti	
	3.	Baradghata	
	4.	Urti	
	5.	Chargoda	
	6.	Gobha	
	7.	Barahpan	
	8.	Balsota	
	9.	Dhummadand	
	10.	Piprakurand	
	11.	Ekpai	
	12.	Suideeh	
	13.	Jalahathni	
	14.	Dhodha	
	15.	Mudwania	
	16.	Barangtola	
	17.	Khatkhariya	
	18.	Kandopani	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. व्ही. एस. चौधरी, कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कुलाध्यक्ष, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, सांची, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2019

क्र. एफ-1-4-18-रा.स.-यू.ए.1-705.—सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, सांची के कुलपति के दिनांक 18 दिसम्बर 2018 को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप आदेश क्रमांक एफ-1-6-18-रा.स.यू.ए.128, दिनांक 7 जनवरी 2019 के द्वारा श्रीमती रेनू तिवारी, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल को उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का प्रभार सौंपा गया था, जिनका स्थानांतरण अन्य विभाग में हो गया है.

2. अतः, राज्य शासन के परामर्श अनुसार सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, सांची जिला रायसेन (म.प्र.) के कुलपति के पद का प्रभार श्री पंकज राग, वर्तमान प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए सौंपा जाता है.

आनंदीबेन पटेल, कुलाध्यक्ष.

कार्यालय, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2019

क्र. एफ-1-6-18-रा.स.-यू.ए.1-707.—राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर में राज्य शासन द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 2018 से राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 57 के प्रावधान प्रभावशील किए जाने के फलस्वरूप आदेश क्र. एफ-1-6-18-रा.स.-यू. ए.1-2, दिनांक 2 जनवरी 2019 के द्वारा श्रीमती रेनू तिवारी, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय भोपाल को उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का प्रभार सौंपा गया था, जिनका स्थानांतरण अन्य विभाग में हो गया है.

2. अतः, राज्य शासन के परामर्श अनुसार राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) के कुलपति के पद का प्रभार श्री पंकज राग, वर्तमान प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए सौंपा जाता है.

आनंदीबेन पटेल, कुलाध्यक्ष.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2019

क्र. एफ 16-52-2018-सात-शा-2.—भू-अर्जन अधिनियम, 1894 को निरसित करते हुए ''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013'' अधिनियमित किया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ड) के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15(1)-2014, दिनांक 29 सितम्बर 2014 के अनुसार, जो कि राजपत्र में दिनांक 3 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित है, किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के भूमि अर्जन के लिए कलेक्टर को समुचित सरकार अधिसूचित किया गया है.

2. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 12-04-2013-सात-शा-2ए, भोपाल, दिनांक 20 जून, 2013 द्वारा विभिन्न विभागों, उपक्रमों एवं कंपनियों के लिए भूमि अर्जन के लिये जारी संदर्भित निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:—

(1) राज्य शासन के विभिन्न विभागों के लिए भूमि अर्जन के प्रस्तावों पर धारा 11 की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कलेक्टर अपनी संतुष्टि के लिए निम्न बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त करेंगे:—

(क) परियोजना जिसके लिए भूमि अर्जन अपेक्षित है, की प्रशासकीय स्वीकृति (संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा कि परियोजना हेतु सक्षम स्तर से प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही भूमि अर्जन के लिए आवेदन करें) ; तथा

(ख) प्रशासकीय स्वीकृति के साथ भूमि अर्जन के मामलों में अवार्ड की राशि के भुगतान के लिए आवश्यक बजट व्यवस्था.

उक्तानुसार संतुष्टि होने पर कलेक्टर भूमि अर्जन, पुनर्वासन औप पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे. भूमि अर्जन की कार्यवाही के दौरान अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई के पूर्व अपेक्षक निकाय (संबंधित विभाग) अनुमानित अवार्ड की 90 प्रतिशत राशि कलेक्टर के पी. डी. अकाउन्ट में जमा कराएगा. धारा 23 के अन्तर्गत अवार्ड पारित होने के सात दिवस के भीतर शेष राशि जमा कराई जायेगी.

(2) राज्य शासन के विभिन्न उपक्रमों, केन्द्र सरकार के विभागों तथा केन्द्र सरकार के उपक्रमों के लिए भूमि अर्जन के प्रस्तावों पर धारा 11 की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कलेक्टर अपनी संतुष्टि के लिए निम्न बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त करेंगे—

(क) परियोजना के लिए आवश्यक भूमि को लोक प्रयोजन प्रतिपादित किए जाने संबंधी जानकारी;

(ख) संबंधित उपक्रम के प्रशासकीय विभाग अथवा केन्द्र सरकार के विभाग का भूमि अर्जन के लिए आवेदन; तथा

(ग) परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं बजट व्यवस्था संबंधी जानकारी

उक्तानुसार संतुष्टि होने पर कलेक्टर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे. राज्य शासन के विभिन्न उपक्रमों, केन्द्र सरकार के विभागों तथा केन्द्र सरकार के उपक्रमों के लिए भूमि अर्जन के प्रस्तावों पर धारा 11 की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व अपेक्षक निकाय, कलेक्टर द्वारा संधारित पी.डी. अकाउंट में भूमि के अर्जन के लिए अनुमानित अवार्ड की 90 प्रतिशत राशि जमा कराएगा. धारा 23 के अन्तर्गत अवार्ड पारित होने के 7 दिवस के भीतर शेष राशि जमा कराई जायेगी.

(3) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 (2), (3) के अन्तर्गत लोक प्रयोजनार्थ पब्लिक प्राईवेट भागीदारी परियोजनाओं एवं लोक प्रयोजन के लिये प्राईवेट कंपनियों के लिये भूमि अर्जन के आवेदन-पत्र के साथ कलेक्टर द्वारा संधारित पी. डी. अकाउंट में भूमि के अर्जन के लिये अनुमानित अवार्ड की 20 प्रतिशत राशि जमा कराई जाएगी. आवेदन पर धारा 11 की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कलेक्टर अपनी संतुष्टि के लिए निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त करेंगे:—

(क) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 (2) (ख) के परन्तुक अनुसार धारा 4 में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के साथ प्रभावित कुटुंबों की पूर्व सहमति प्राप्त की गई है.

(ख) धारा 11 की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक विभाग/कंपनी भूमि अर्जन के लिए आवेदन पत्र के साथ कलेक्टर द्वारा संधारित पी.डी. अकाउंट में अनुमानित अवार्ड की शेष 80 प्रतिशत राशि जमा कराएगा. धारा 23 के अन्तर्गत अवार्ड पारित होने के सात दिवस के भीतर शेष राशि, अगर आवश्यक हो तो, जमा कराई जायेगी.

3. विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-16-52-2018-सात-शा-2, दिनांक 20 मार्च 2019 द्वारा निर्धारित प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रभारित, राज्य शासन और भारत सरकार के समस्त विभाग तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त उपक्रम के लिए प्रतिकर की लागत का ढाई प्रतिशत एवं उससे भिन्न अपेक्षक निकाय के लिए प्रतिकर की लागत का पांच प्रतिशत, राशि भी भू-अर्जन आवेदन के साथ ही जमा करायी जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.